मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/एबाविसे/निर्माण/2015/3188

दिनांक 31/07/2015

प्रति,

1. संभागीय आयुक्त,
   समस्त संभाग (म.प्र.)
2. जिला कलेक्टर,
   समस्त जिला (म.प्र.)

विषय:- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शौचालय एवं हैण्डवॉश यूनिट उपलब्ध कराने के संबंध में।
संदर्भ:- आयुक्त आईसीडीएस, भोपाल का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/2350-2351, दिनांक 19.06.2015

आपके संभाग/जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं शौचालय सुविधा की उपलब्धता की स्थिति आयुक्त आईसीडीएस, भोपाल द्वारा संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से संसूचित की गई है। "स्वच्छ भारत अभियान" अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों में पेयजल एवं बाल सुलभ सुविधायुक्त शौचालय उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।

विभाग द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी भवनों में निर्माण हेतु बाल सुलभ सुविधायुक्त शौचालय एवं हैण्डवॉश यूनिट का ड्राईंग/डिजाईन एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्रति पत्र के संलग्न है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बाल सुलभ सुविधायुक्त शौचालय एवं हैण्डवॉश यूनिट के निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की अनुमानित लागत राशि रू. 27,150 प्रति इकाई आंकलित की गई है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय एम.आई.एस. में दर्ज आंकडों के अनुसार प्रदेश में 80,160 आंगनवाडी केन्द्र 52,150 विभागीय भवनों में 5,009 अन्य शासकीय भवनों में एवं 23,001 किराये के भवनों में संचालित हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल 57,159 विभागीय एवं अन्य शासकीय भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रो मे से 28,160 आंगनवाड़ी केंद्रो में बाल सुलभ शौचालय एवं हैण्डवॉश यूनिट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः आंगनवाड़ी केंद्रो के भवनों में बाल सुलभ सुविधायुक्त शौचालय एवं हैण्डवॉश यूनिट उपलब्ध कराने का कार्य एक अभियान के रूप में आपके संभाग/जिले में क्रियान्वित करवायें तथा इस कार्य में अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं से अभिसरण, सीएसआर गतिविधियों से समन्वय, विभिन्न प्राधिकरण व दानदाताओं से सहयोग तथा सांसद/ विधायक निधि से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

31/7/15
(जे.एन. कांसोटिया)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/एबाविसे/निर्माण/2015/3183 दिनांक ..31../07/2015

प्रतिलिपि:-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त जिलों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रमुख सचिव 31/7/15
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल (मध्यप्रदेश)

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

28-ए, विजया राजे वात्सल्य भवन प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल
फोन 0755 - 2550909 फैक्स 0755 - 2550912
Email :commwcd@mp.nic.in Website www.mpwcd.nic.in

क्रमांक/एबाविसे/निर्माण/2017/२०५५ **दिनांक 12/05/2017**

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा,
जिला समस्त,
मध्यप्रदेश

विषय:-पंचपरमेश्वर योजना अन्तर्गत साफ-सफाई कार्य हेतु उपलब्ध राशि से आंगनवाड़ी केन्द्रों के शौचालयों की साफ-सफाई के संबंध में।

संदर्भ:-1. संचालनालय का पत्र क्र. 3144 (A)-3144(B), दिनांक 27/01/2014

....

पंचपरमेश्वर योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में से 5 प्रतिशत राशि का उपयोग साफ-सफाई के कार्यो पर किये जाने हेतु तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र 12750-51 दिनांक 27/09/2012 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको लेख किया गया था कि कृपया अपने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से समन्वय कर जिले के आंगनवाड़ी भवनों में स्थित प्रत्येक शौचालय की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जायें।

उपरोक्त के संबंध में उपरोक्त निर्देशों एवं संदर्भित पत्र की छायाप्रति पत्र के संलग्न कर आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि अपने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से आवश्यक समन्वय स्थापित कर जिलें के आंगनवाड़ी भवनों में स्थित प्रत्येक शौचालय की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(पुष्पलता सिंह)
आयुक्त
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

क्रमांक/एबाविसे/निर्माण/2017/२०५६ **दिनांक 12/05/2017**

प्रतिलिपि:-

1. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला समस्त, मध्यप्रदेश की ओर ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, संभाग समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग